गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 235
दि. 26.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

झीरम घाटी नरसंहार के मास्टरमाइंड गणेश उइके का अंत, ओडिशा में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता

(जीएनएस)। भुवनेश्वर। देश के सबसे कुख्यात नक्सली नेताओं में शामिल और झीरम घाटी नरसंहार समेत कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड गणेश उइके आखिरकार सुरक्षाबलों के घेरे से नहीं बच सका। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गणेश उइके सहित कुल छह नक्सली मारे गए। यह कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान के तहत हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सफलताओं में गिनी जा रही है। मारा गया गणेश उइके भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और उस पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। उसकी मौत को राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मुठभेड़ कंधमाल जिले के बेलघर और चकापाड थाना क्षेत्रों के घने जंगलों में हुई। बुधवार रात सुरक्षा बलों को गुम्मा जंगल इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद विशेष परिचालन समूह, सीआरपीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात के अंधेरे में नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला। इस दौरान दो नक्सली मारे गए। अगले दिन गुरुवार सुबह चकापाड थाना क्षेत्र के जंगलों में एक बार फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें चार अन्य नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इनमें एक की पहचान 69 वर्षीय गणेश उइके के रूप में हुई।

पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ स्थल से दो इंसास राइफलें और एक .303 राइफल बरामद की गई हैं। मारे गए नक्सलियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। अधिकारियों का कहना है कि पहचान की प्रक्रिया जारी है और अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं। इस पूरे अभियान में ओडिशा पुलिस के विशेष परिचालन समूह की करीब 20 टीमें, सीआरपीएफ की दो टीमें और बीएसएफ की एक टीम शामिल रही। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और घने जंगलों के बावजूद सुरक्षाबलों ने समन्वय के साथ ऑपरेशन

को अंजाम दिया।

गणेश उइके को नक्सल आंदोलन का एक बेहद खतरनाक और रणनीतिक चेहरा माना जाता था। वह पिछले चार दशकों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और संगठन के केंद्रीय नेतृत्व तथा स्थानीय इकाइयों के बीच अहम कड़ी के रूप में काम करता था। मूल रूप से तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदूर मंडल के पुल्लेमाला गांव का निवासी गणेश उइके पक्का हनुमंतु, राजेश तिवारी, चमरू और रूपा जैसे कई नामों से भी जाना जाता था। वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रमुख चेहरा रहा और बाद में भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया। पिछले तीन वर्षों से वह ओडिशा के कंधमाल इलाके में सक्रिय था और यहां संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए गणेश उइके लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था। उस पर 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर-सुकमा बॉर्डर पर हुए भीषण हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था, जिसमें 22 सुरक्षाबलों के जवान शहीद हो गए थे। उस हमले में करीब 400 नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। इससे पहले भी वह कई मुठभेड़ों में बच निकलने में सफल रहा था। वर्ष 2018 में दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर और 2017 में डोडी तुमनार जंगल में हुई मुठभेड़ों में भी वह सुरक्षा बलों की पकड़ से बच गया था। लेकिन इस बार कंधमाल के जंगलों में उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मुठभेड़ के बाद ओडिशा के डीजीपी वाई बी खुरानिया ने प्रेसवार्ता में इसे राज्य पुलिस के लिए ऐतिहासिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति के एक सदस्य का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका है और इससे ओडिशा में नक्सलियों की कमर टूट गई है। डीजीपी ने बताया कि कंधमाल और गंजम के अंतर-जिला सीमावर्ती इलाकों में अभी भी सघन अभियान जारी हैं और आने वाले दिनों में और सफलता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के समय में यह ओडिशा में माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़े अभियानों में से एक है। इस ऑपरेशन से ठीक एक दिन पहले पड़ोसी मलकानगिरी जिले में डीजीपी खुरानिया की मौजूदगी में 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सल नेटवर्क के कमजोर पड़ने का संकेत माना था। इसके बाद हुई यह मुठभेड़ नक्सल संगठन के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई। बुधवार रात मारे गए दो नक्सलियों की पहचान छत्तीसगढ़ के राकेश, जो एरिया कमेटी का सदस्य था, और अमृत के रूप में हुई है। इन दोनों पर कुल 23.65 लाख रुपये का इनाम घोषित था। गणेश उइके का अंत केंद्र सरकार के उस लक्ष्य की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसके तहत मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इससे पहले इस वर्ष मई में नक्सली महासचिव बासवराज और नवंबर में कुख्यात कमांडर माडवी हिडमा को भी सुरक्षाबलों ने मार गिराया था। अब गणेश उइके की मौत के बाद भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति में मल्लराज रेड्डी और एनल दा जैसे गिने-चुने बड़े नाम ही शेष बचे हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नक्सली संगठन की रणनीतिक क्षमता और मनोबल दोनों पर गहरा असर पड़ा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क अब पहले की तरह संगठित और आक्रामक नहीं रह गया है। गणेश उइके जैसे वरिष्ठ नेता का मारा जाना न केवल संगठन के लिए नेतृत्व संकट पैदा करेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी नक्सलियों की गतिविधियों को कमजोर करेगा। सुरक्षाबलों की इस सफलता को नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भूख से लड़ाई, दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन योजना

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी और मानवीय पहल करते हुए 'अटल कैंटीन' योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राजधानी दिल्ली के 100 अलग-अलग स्थानों पर अटल कैंटीन खोली गई हैं, जहां केवल पांच रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उन लाखों गरीबों, मजदूरों और बेघरों को राहत देना है, जिनके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना रोज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।

अटल कैंटीन में मिलने वाली थाली को पोषण और सादगी दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हर थाली में मौसमी सब्जी, दाल, रोटी, चावल और अचार शामिल रहेगा, ताकि बेहद कम कीमत में भी व्यक्ति को संतुलित और सम्मानजनक भोजन मिल सके। सरकार

के अनुसार, हर कैंटीन पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर एक हजार लोगों को भोजन दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह एक कैंटीन से रोजाना दो हजार जरूरतमंदों को खाना मिल सकेगा। कुल 100 कैंटीनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब एक लाख गरीबों की भूख मिटाई जाएगी, जबकि दोनों समय के भोजन को मिलाकर यह संख्या दो लाख तक पहुंच सकती है।

दिल्ली जैसे महानगर में जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहां पांच रुपये में भोजन मिलना किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। राजधानी में पांच रुपये में आज एक कप चाय या एक समोसा तक मिलना मुश्किल है। ऐसे में इतनी कम राशि में भरपेट भोजन मिलने से गरीब तबके को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर वे लोग जो निर्माण इकाइयों, फैक्ट्रियों, बड़ी मंडियों, बाजारों, कृषि कार्यों और दिहाड़ी मजदूरी जैसे कामों में लगे हैं, उनके लिए यह योजना बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास स्थायी आवास नहीं है। मंदिरों, बाजारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास बड़ी संख्या में बेघर लोग दिखाई देते हैं, जो भीख मांगकर या छोटे-मोटे काम करके जीवन यापन करते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के लिए किराए पर मकान लेना संभव नहीं होता और वे सड़क किनारे या फुटपाथ पर ही रात गुजारते हैं। ऐसे लोगों के लिए सस्ते और सुलभ भोजन की उपलब्धता जीवन की बुनियादी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में रोजाना लाखों लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। इनके लिए भोजन की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या होती है। अटल कैंटीन योजना के तहत मिलने वाली पांच रुपये की थाली से न केवल उनकी भूख मिटेगी, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ भोजन पाने का अवसर भी मिलेगा। कई सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं केवल पेट भरने तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि समाज में समानता और मानवीय गरिमा को भी मजबूत करती हैं।

व्यस्तताओं का हवाला देकर गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने पद छोड़ा, सियासी हलकों में चर्चाएं तेज

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी पुष्टि की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, जेठाभाई भरवाड़ ने अपने बढ़ते कार्यभार, व्यस्त कार्यक्रम और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। उनका इस्तीफा गांधीनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के सरकारी आवास पर सौंपा गया, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी मौजूद रहे।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जेठाभाई भरवाड़ ने काफी समय से अपने दायित्वों को लेकर पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया था। विधानसभा की कार्यवाही, क्षेत्रीय जिम्मेदारियों और संगठनात्मक कामों के बीच संतुलन बनाने में

आ रही कठिनाइयों के चलते उन्होंने यह कदम उठाने का निर्णय लिया। उनके इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त हो गया है।

जेठाभाई भरवाड़ का नाम गुजरात की राजनीति में एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक संगठन और विधानसभा, दोनों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। डिप्टी स्पीकर के तौर पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में अहम योगदान दिया और कई मौकों पर संतुलित एवं निष्पक्ष रवैया अपनाने के लिए उनकी सराहना भी हुई। उनके अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है, हालांकि सरकार और पार्टी नेतृत्व की ओर से इसे पूरी तरह व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा फैसला बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर जेठाभाई भरवाड़ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा विधानसभा की गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया और पार्टी तथा सरकार के लिए समर्पित भाव से काम किया। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने भी उनके निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि पार्टी को उनके अनुभव और मार्गदर्शन की आगे भी आवश्यकता रहेगी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डिप्टी स्पीकर का पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में जल्द ही इस पद के लिए नए नाम पर मंथन शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र से पहले पार्टी नेतृत्व इस खाली पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ताकि सदन की कार्यवाही में किसी तरह की असुविधा न हो।

फिलहाल, जेठाभाई भरवाड़ के इस्तीफे को लेकर आधिकारिक बयान में किसी भी तरह के राजनीतिक या आंतरिक मतभेद की बात से इनकार किया गया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला पूरी तरह उनकी व्यक्तिगत व्यस्तताओं और अन्य जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके बावजूद, गुजरात की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बना रहेगा और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि डिप्टी स्पीकर के खाली पद पर किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

खरगे से डीके शिवकुमार की मुलाकात के बाद कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं तेज, कांग्रेस में अंदरूनी हलचल

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों को नया बल मिल गया है। कांग्रेस के भीतर सत्ता संतुलन, नेतृत्व परिवर्तन और आगामी रणनीति को लेकर पहले से ही चर्चाएं जारी थीं, ऐसे में शिवकुमार और खरगे की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

हालांकि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डीके शिवकुमार ने किसी भी तरह की राजनीतिक सौदेबाजी या मुख्यमंत्री पद से जुड़ी चर्चा से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह संगठनात्मक और नीतिगत विषयों को लेकर थी। शिवकुमार के अनुसार, 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के मद्देनजर उन्होंने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कुछ मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून और उससे जुड़े प्रभावों पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी है।

इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिक या नीतिगत नहीं थी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रही हैं। चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर चला लंबा मंथन किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष से शिवकुमार की यह मुलाकात आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक फैसले की भूमिका भी मानी जा रही है।

दिल्ली में दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि वे पद से पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि उन्होंने पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। झंडे लगाना, पोस्टर चिपकाना, कार्यालय की सफाई करना और संगठन के लिए हर तरह का काम करना—यह सब उन्होंने किया है। उनके मुताबिक, कांग्रेस उनके लिए केवल एक पार्टी नहीं, बल्कि एक विचारधारा और परिवार की तरह है।

शिवकुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वे दोनों ही पार्टी हाईकमान के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व सौंपेगा, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। उनके इस बयान को नेतृत्व के प्रति वफादारी और अनुशासन के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही सत्ता के दो मजबूत केंद्रों की चर्चा होती रही है। एक ओर अनुभवी नेता और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, तो दूसरी ओर संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले डीके शिवकुमार। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच समय-समय पर बयानबाजी भी सामने आती रही है, जिससे मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें और तेज हो जाती हैं। ऐसे माहौल में खरगे से शिवकुमार की मुलाकात को महज संयोग मानने को कई लोग तैयार नहीं हैं।

अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई को शशि थरूर का समर्थन, बोले– सीमाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी संप्रभु देश के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित

करना सरकार की मूल जिम्मेदारी होती है। उन्होंने माना कि यदि देश में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ हो रही है या वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद लोग भारत में रह रहे हैं, तो यह बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम में खामियों की ओर इशारा करता है। शशि थरूर ने कहा कि अवैध प्रवास का मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के संतुलन और प्रशासनिक क्षमता से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग गैरकानूनी तरीके से देश में प्रवेश कर पा रहे हैं या वर्षों तक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं, तो यह व्यवस्था की नाकामी नहीं तो और क्या है। ऐसे में सरकार को अपनी सीमाओं पर और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।

कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि किसी भी सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। यदि कोई व्यक्ति नियमों को तोड़कर देश में रह रहा है, तो उसे कानून के तहत बाहर निकालना पूरी तरह जायज है। थरूर के मुताबिक, इमिग्रेशन कानूनों का उद्देश्य केवल लोगों को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि देश में रहने और काम करने वाले लोग वैध प्रक्रिया के तहत आए हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय मानवीय पहलुओं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गैरकानूनी गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाए। थरूर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना सरकार का अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। शशि थरूर के इस बयान को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अवैध प्रवास का मुद्दा अक्सर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बनता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद द्वारा सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया जाना इस विषय पर एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। उनके बयान से यह संकेत भी मिलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के सवाल पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बात की जानी चाहिए।

संपादकीय

न्यूज़ीलैंड से डील

अमेरिका द्वारा अनुचित टैरिफ लगाने से भारतीय बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाओं के बीच न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता सुखद ही है। माना जा रहा है कि दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं के संरक्षणवाद तथा भू-राजनीतिक तनाव से उपजे आपूर्ति श्रृंखला के संकट के बीच इस समझौते का सिरे चढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय कृषि व फल उत्पादकों के हितों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जैसी कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों में गहरी चिंता है कि न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क पचास से पच्चीस फीसदी करने से उनके हितों पर चोट लगेगी। उनकी आशंका है कि यदि अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते होते हैं तो हिमाचली सेब बाजार में प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि जिस दौरान हिमाचली सेब की मार्केट में आवक होती है, उस दौरान यह शुल्क कम नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि इससे सेब की हाई-डेंसिटी खेती तथा कोल्ड स्टोरेज उद्योग पर भी बुरा असर पड़ेगा। वैसे इस करार का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इससे वॉशिंगटन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार डील में भारत को लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड के साथ व्यापार अगले पांच साल में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश के व्यापक हित में हो सकता है। न्यूजीलैंड ने अगले पंद्रह वर्षों में भारत में बीस अरब डॉलर के निवेश करने का भरोसा दिलाया है। निस्संदेह, इस करार से उस नकारात्मक वातावरण को दूर करने में मदद मिलेगी, जो अमेरिका के एकतरफा टैरिफ लगाने से बना था। जिसके चलते अमेरिका को निर्यात करने वाले उत्पादक चिंता में थे और रोजगार के अवसरों में कमी की आशंका भी जतायी जा रही थी। सकारात्मक पहलू यह भी है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मार्च में भारत यात्रा के बाद सिर्फ नौ महीने में यह करार सिरे चढ़ा है।

निस्संदेह, यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक हितों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। जो निश्चय ही हमारी हिंद-प्रशांत आर्थिक रणनीति को संबल देगा। यह तथ्य भी विचारणीय है कि आजादी के कुछ साल बाद शुरू हुआ दोनों देशों का व्यापारिक लेनदेन बेहद उत्साहजनक नहीं रहा। जो बीते साल मुश्किल से दो अरब डॉलर तक पहुंच सका है। बहरहाल, अगले पांच साल में व्यापार को दुगना करने का संकल्प आशा जगाता है। भारत न्यूजीलैंड को फार्मास्यूटिकल, गुड्स, आईटी सेवाओं का निर्यात बढ़ा सकता है। कहा जा रहा है कि करार के बाद भारत की न्यूजीलैंड की उन्नत कृषि तकनीक तक पहुंच आसान होगी। यह भी कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के न्यूजीलैंड के अनुभव का लाभ भारत को मिल सकता है, लेकिन भारतीय किसानों के हितों की रक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि करार में भारतीय डेयरी उद्योग के हितों की रक्षा करने का भरोसा दिया गया है। दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत में न्यूजीलैंड के डेयरी सेक्टर को कोई छूट नहीं दी गई है। यहां उल्लेखनीय है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के अब तक सिरे न चढ़ने की एक बड़ी वजह डेयरी व कृषि क्षेत्र में भारतीय किसान व डेयरी उत्पादकों के हितों के चलते अमेरिकी दखल को हरी झंडी न देना ही है। बहरहाल, अमेरिका से व्यापार समझौते पर तनातनी के बावजूद भारत द्वारा हाल ही में ओमान के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद न्यूजीलैंड से एफटीए को सिरे चढ़ाना भारतीय निर्यात विविधता को बढ़ावा ही देगा। एक साल में तीन वैश्विक समझौतों का सिरे चढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये ऊर्जा का काम कर सकता है। वहीं इस माह की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। बहुत संभव है कि इन समझौतों के बाद अमेरिका से होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में भारत का पक्ष मजबूत हो पाएगा। उम्मीद करें कि यूरोपीय यूनियन,कनाडा व इस्राइल से भी एफटीए के प्रयास सिरे चढ़े। लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि भारतीय किसानों, फल व दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

नैतिकता की कसौटी पर नेपाल की राजनीति

> “ नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, और ‘नेकपा-माओवादी’ के कोऑर्डिनेटर पुष्पकमल दाहाल के बीच आम चुनाव को सफल बनाने के लिए सहमति बन गई है। नेपाल में चुनाव 5 मार्च, 2026 को होंगे, लेकिन क्या आम सहमति से शांतिपूर्ण मतदान संभव होगा?

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच छलफल (बातचीत) का आयोजन किया था। 12 सितंबर को पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्की और प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, और ‘नेकपा-माओवादी’ के कोऑर्डिनेटर पुष्पकमल दाहाल के बीच आम चुनाव को सफल बनाने के लिए सहमति बन गई है। नेपाल में चुनाव 5 मार्च, 2026 को होंगे, लेकिन क्या आम सहमति से शांतिपूर्ण मतदान संभव होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रचंड ने कहा, ‘अगर सरकार उनके लिए अनुकूल माहौल बनाती है, तो पार्टियां चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं।’

जबकि, नेपाली कांग्रेस और नेकपा-एमाले जैसी प्रमुख राजनीतिक ताकतों के सांसदों ने भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की हैं। सोमवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने और काठमांडू के मेयर बालेनेंद्र (बालेन) शाह के बीच देर रात हुई बैठक ने, नेपाल के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या उभरती वैकल्पिक राजनीतिक ताकतों के बीच गठबंधन संभव है?

लामिछाने ‘को-ऑपरेटिव फंड घोटाले’ में कथित संलिप्तता के आरोप में नौ महीने से हिरासत में थे। शुक्रवार को, लामिछाने को जेल से रिहा किया गया था। लामिछाने पर कोऑपरेटिव फंड घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर पांच ज़िलों में कानूनी मामले चल रहे हैं। मंगलवार को चितवन कोर्ट से निकलने के बाद पत्रकारों से लामिछाने ने कहा कि हमने ऐसी किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो। लामिछाने बोले, ‘मैं जल्द ही जेनज़ी के दो प्रमुख नेताओं सुदन गुरुंग और कुलमान घिसिंग से बात करूंगा।’ नेपाल में विकल्प की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, अभी से कहना मुश्किल है।

लेकिन, सबसे अधिक मुश्किल वामपंथी एकता को लेकर हो रही है। पेइचिंग का मानना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्ट्स और दूसरी संधियों को आसानी से लागू करने के लिए एक मज़बूत, एकजुट कम्युनिस्ट शासन ज़रूरी है। चीन ने 2018 में दो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों, ‘नेकपा-एमाले’ और ‘नेकपा-माओवादी सेंटर’ के बीच विलय कराने में सफलता हासिल की थी। फिर भी, ओली और प्रचंड के बीच हुई दुरभिसंधि, दूर तक नहीं जा सकी। वर्ष 2021 में दोनों अलग हो गए।

कभी पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और केपी शर्मा ओली, ‘तोड़ेंगे दम मगर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे’ का तराना गाते थे, अब दोनों एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। ओली, एमाले नेतृत्व को छोड़ने के मूड में कतई नहीं थे। आगामी 22 फरवरी, 2026 को ओली 74 साल के हो जायेंगे। एमाले का संविधान 70 साल की उम्र सीमा और अध्यक्ष पद को दो कार्यकाल तक सीमित करता है। ओली ने पार्टी अधिवेशन के ज़रिये उम्र सीमा और दो टर्म वाली अवधि को निरस्त करवा दिया। विद्या देवी भंडारी 64वां वसंत देख चुकी हैं। बाक़ी वक्त वो बियावान में काटना नहीं चाहतीं। जून की शुरुआत में चीन की आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद, पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने एमाले अध्यक्ष बनने की अपनी योजना का खुलासा किया था। चीन की ओर से शायद विद्या देवी भंडारी को हरी झंडी मिल चुकी थी। वर्ष 2015 से 2023 तक देश की राष्ट्रपति बनने से पहले, विद्या देवी भंडारी ने पार्टी में उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया था। विद्या देवी भंडारी के सक्रिय राजनीति में फिर से आने की घोषणा के बाद, ईश्वर पोखरेल सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनके फैसले का स्वागत किया और एमाले प्रमुख बनने की उनकी योजना के पक्ष में लॉबिंग की। लेकिन, जुलाई में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में, लगभग 90 प्रतिशत सदस्यों ने भंडारी की दावेदारी को खारिज कर दिया। यह तर्क देते हुए कि जो व्यक्ति पहले ही देश का राष्ट्रपति रह चुका है, उसका सक्रिय राजनीति में लौटना गलत सन्देश देगा।

विद्या देवी भंडारी का ब्रह्मास्त्र विफल हुआ तो फिर पार्टी के असंतुष्ट समूह ने ईश्वर पोखरेल को सर्वोच्च पद के लिए मैदान में उतार दिया। गत 19 दिसंबर, 2025 को आये चुनाव परिणाम में केपी शर्मा ओली, पार्टी के सीनियर वाइस-चेयरमैन ईश्वर पोखरेल को बड़े अंतर से हराकर तीसरी बार पार्टी चेयरमैन चुने गए। जो आलोचक यह तर्क देते हैं, कि राष्ट्रपति के रूप में भंडारी सिर्फ़ ओली की कठपुतली थीं, वे पूरी तरह से गलत नहीं हैं। विद्या देवी भंडारी ने दिसंबर, 2020 और मई, 2021 में ओली द्वारा संसद को असंवैधानिक रूप से भंग करने के फैसले पर दो बार मुहर लगाई थी।

विद्या देवी भंडारी से टकराव की दूसरी वजह पूर्व राजा ज्ञानेंद्र हैं। विद्या देवी भंडारी एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की पैरोकार हैं, जिसमें राजशाही को जगह मिलती है। उनके दिवंगत पति, मदन भंडारी, जिनकी नेकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) 1991 में मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व वाली नेकपा (मार्क्सवादी) के साथ मिलकर मौजूदा नेकपा-एमाले बनी थी, हमेशा से सोचते थे कि संवैधानिक राजशाही के लिए गुंजाइश है।

नेपाल में नैतिकता बनाम वास्तविकता पर बहस छिड़ती है, तो नैतिकता को कई मौक़ों पर हम हारते हुए देखते हैं। पद छोड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे, ऐसा बताया जाता है। इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नेपाल सर्वोच्च अदालत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की विराजमान हैं। मातृका प्रसाद कोइराला, जिन्होंने दो अलग-अलग कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, 60 के दशक में, उन्हें अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ष 2015 से 23 तक उपराष्ट्रपति रह चुके नंद बहादुर पुन माओवादी सेंटर के उपाध्यक्ष नियुक्त हो गए, जिसके हवाले से यह सवाल उठ रहा है, कि क्या पुन, उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका में ईमानदार और निष्पक्ष रहे थे? ओली के भरोसेमंद सहयोगी, महेश बसनेत ने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बीच बातचीत में केपी ओली को गिरफ़्तार करने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। चाहे जो हो, यह घाव जल्दी भरने वाला नहीं है, जिसका साइड इफेक्ट चुनाव में भी दिखेगा।

प्रेरणा

क्षणों की कीमत और जीवन का चन्दन

कहा जाता है कि जीवन स्वयं एक चन्दन-वृक्ष है, पर उसकी सुगंध तभी पहचानी जाती है जब वह लगभग कट चुका होता है। इसी सत्य को उजागर करती है यह कथा, जो केवल एक राजा और एक वनवासी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की दास्तान है जो जीवन के अमूल्य क्षणों को साधारण समझकर व्यर्थ गँवा देता है।

बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य का राजा शिकार के लिए निकला। घने जंगल, ऊँचे वृक्ष और दूर-दूर तक फैली हरियाली—सब कुछ राजा को आनंद दे रहा था। किंतु शिकार के जोश में वह अपने सैनिकों और मार्गदर्शकों से बिछुड़ गया। दिन ढलने लगा, सूरज अस्त होने की ओर था और जंगल की निस्तब्धता भयावह होती जा रही थी। भूख और प्यास से व्याकुल राजा दिशाहीन होकर भटकता रहा। राजसी वैभव, रेशमी वस्त्र और सोने-चाँदी के आभूषण उस समय किसी काम के नहीं थे। वह केवल एक साधारण मनुष्य बन चुका था, जिसे एक घूँट पानी और एक कौर भोजन की आवश्यकता थी।

भटकते-भटकते उसे एक छोटी-सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में रहने वाला वनवासी अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसके पास न धन था, न वैभव, पर उसका हृदय करुणा और मानवता से भरा हुआ था। उसने राजा को बिना किसी प्रश्न के जल पिलाया, रूखा-सूखा भोजन कराया और रात बिताने के लिए आश्रय दिया। राजा ने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि मन की उदारता में छिपा होता है। सुबह जब राजा अपने राज्य लौटने के लिए तैयार हुआ, तब उसने वनवासी से उसका परिचय पूछा। वनवासी ने विनम्रता से कहा कि वह जंगल में ही जन्मा और पला-बढ़ा है और यही उसका संसार है।

राजा उस सरल आतिथ्य से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने वनवासी से कहा कि वह उसकी सज्जनता से प्रसन्न होकर उसे अपने राज्य के एक नगर के पास स्थित चन्दन का बाग प्रदान करता है, ताकि उसका जीवन सुखमय हो जाए। वनवासी के लिए यह बात कल्पना से परे थी। उसने कभी इतना बड़ा उपहार सोचा भी नहीं था। वह राजा का आभार मानकर अपने काम में लग गया।

कुछ समय बाद वह चन्दन के बाग में पहुँचा। चारों ओर सुगंधित वृक्ष, हरियाली और शांति थी। पर वनवासी को चन्दन के महत्व का कोई ज्ञान नहीं था। वह लकड़ी को केवल लकड़ी समझता था। उसने वृक्ष काटने शुरू किए और उन्हें कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। रोज़ थोड़ा-सा धन मिल जाता, जिससे उसका जीवन जैसे-तैसे चलता रहा। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को स्वयं नष्ट कर रहा है। धीरे-धीरे पूरे बाग के वृक्ष कटते गए। जो चन्दन सदियों तक सुगंध बिखेर सकता था, वह क्षणिक लाभ के लिए राख में बदलता चला गया। एक दिन ऐसा आया जब लगभग सारे वृक्ष समाप्त हो चुके थे। केवल एक अंतिम चन्दन-वृक्ष खड़ा था। उस दिन वर्षा होने लगी, जिससे कोयला बनाना संभव नहीं था। मजबूर होकर वनवासी ने उस वृक्ष की लकड़ी को साधारण लकड़ी की तरह बेचने का निश्चय किया। वह लकड़ी का गट्ठर लेकर नगर के बाजार पहुँचा। जैसे ही वह बाजार में घुसा, चारों ओर सुगंध फैल गई। लोग चौंक उठे। दुकानदार, व्यापारी और ग्राहक उस सुगंध की ओर आकर्षित हो गए। सभी उसकी लकड़ी को देखने लगे और उसे भारी मूल्य देने को तैयार हो गए।

इतना धन देखकर वनवासी आश्चर्यचकित रह गया। उसने कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यह साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि चन्दन काष्ठ है, जो अत्यंत मूल्यवान होता है। यदि उसके पास और चन्दन होता तो वह जीवन भर संपन्न रह सकता था। यह सुनकर वनवासी का हृदय भर आया। उसे अपने अज्ञान और नासमझी पर गहरा पछतावा हुआ। उसने सोचा कि काश उसे पहले यह ज्ञान होता, तो वह एक-एक वृक्ष को संभालकर रखता।

उसी समय वहाँ एक विचारशील व्यक्ति खड़ा था। उसने वनवासी की पीड़ा को समझते हुए कहा कि पछतावा मत करो। यह केवल तुम्हारी कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। मनुष्य को जीवन रूपी चन्दन बाग मिलता है, जिसमें असंख्य क्षण, अवसर और संभावनाएँ होती हैं। पर वह वासना, तृष्णा और तात्कालिक सुखों के लिए उन्हें काटकर कोयला बना देता है। जब जीवन का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी संपत्ति गंवा दी।

उस विचारशील व्यक्ति ने आगे कहा कि तुमने जो एक वृक्ष बचा पाया है, उसका सदुपयोग करो। यही पर्याप्त है। जीवन में यदि मनुष्य बहुत कुछ खोकर भी अंत में जाग जाता है, तो वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। समझ कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से आए, फिर भी जीवन को नई दिशा दे सकती है।

वनवासी ने उस दिन से अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल लिया। उसने उस अंतिम चन्दन-वृक्ष से केवल धन नहीं कमाया, बल्कि उससे सीख भी ली। वह समझ गया कि मूल्यवान वस्तुएँ अक्सर साधारण दिखती हैं और जब तक वे हमारे पास होती हैं, हम उनका महत्व नहीं समझते। जीवन के क्षण भी ऐसे ही हैं। बचपन, युवा अवस्था, रिश्ते, स्वास्थ्य और समय—सब कुछ अमूल्य है, पर हम उन्हें तभी पहचानते हैं जब वे हाथ से फिसलने लगते हैं।

यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन को केवल उपभोग की वस्तु न समझें। हर क्षण एक अवसर है, हर दिन एक चन्दन-वृक्ष। यदि हम उन्हें समझदारी से सँभालें, तो उनका मूल्य जीवन भर सुगंध फैलाता रहेगा। और यदि हम भूल भी कर बैठें, तो अंतिम क्षण में आई समझ भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वही हमें शेष जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है।

जनाकांक्षाओं की राह पर अग्रसर हरियाणा

सुशासन दिवस के अवसर पर भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण समीचीन होगा, जो सुशासन और जन-कल्याण के आदर्श प्रतीक रहे हैं। निस्संदेह, सुशासन का अभिप्रायः है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक कार्यों और संसाधनों का प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी प्रबंधन। हरियाणा सरकार इसी मूल मंत्र पर चल रही है। सुशासन हेतु ई-गवर्नेंस मार्ग पर चलते हुए, बीते ग्यारह वर्षों में सरकार ने प्रशासन के आधुनिकीकरण, समयबद्ध और बाधारहित सेवा वितरण सुनिश्चित करने व समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु ठोस व निर्णायक कदम उठाए हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री और कुशल राजनेता, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में सुशासन के प्रतीक पुरुष हैं। उनका शासन मॉडल वैचारिक प्रतिबद्धताओं और व्यावहारिक, समावेशी तथा जन-केंद्रित प्रशासन के संतुलन से परिपूर्ण था। उनका दृढ़ विश्वास था कि शासन का उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाना, विशेष रूप से गरीबों-वंचितों का कल्याण सुनिश्चित करना है।

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का हरियाणा से विशेष लगाव था। कई हरियाणा प्रवास के अतिरिक्त यह बड़े ही संयोग की बात है कि 24 दिसंबर, 1987 को अटल जी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कार्यवाही देखने आए।

वाजपेयी जी की सोच से प्रेरणा लेते हुए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए—जिसके अनुसार सुशासन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी आवश्यक है तथा ई-गवर्नेंस इसका प्रमुख साधन है—हरियाणा सरकार ने नीतियों में व्यापक सुधार किए हैं। इनका मकसद प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं-सुविधा के अनुरूप बनाना, सेवाओं को उनके द्वार तक पहुंचाना, ऑनलाइन उपलब्ध कराना, भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करना तथा दलालों-बिचौलियों को पूरी तरह समाप्त करना है। निस्संदेह, नीतिगत निर्णय हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप लिए जाते हैं। जनहित की सेवा हेतु कानून के शासन व सहभागिता के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए निर्णय होते हैं। जिससे समान विकास व नागरिकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित हो सके। ऐसा वातावरण बनाना, जिसमें सभी नागरिकों—विशेषकर पिछड़े वर्गों—को अभिव्यक्ति का अवसर व समान अवसर प्राप्त हों।

जनता सेवा हेतु प्रतिबद्ध राज्य सरकार का लक्ष्य आम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना और उद्योग-कारोबार अनुकूल माहौल बनाना है। भारत को ई-गवर्नेंस के माध्यम से रूपांतरित करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने, लोगों तथा कल्याणकारी योजनाओं के बीच की दूरी कम करने को कई ई-हस्तक्षेप किए गए। फलतः हरियाणा में अधिकांश सेवाएं एक क्लिक की दूरी पर हैं। सुशासन सुधारों ने लोगों को घर बैठे या नजदीकी सामुदायिक सेवा केन्द्रों से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्ति हेतु सक्षम बनाया है। प्रमुख योजना परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अधिकांश योजनाओं का लाभ स्वतः लोगों तक पहुंच रहा है। डीबीटी योजना से राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो रही है। व्यक्ति के वरिष्ठ नागरिक बनते ही, उसकी पेंशन स्वतः खाते में जमा हो जाती है; संपत्ति के पचास हजार सौदे ऑनलाइन पंजीकृत हो चुके हैं; किसानों को खरीदी गई फसलों का भुगतान अब 48 घंटों में मिल रहा है। कर्मचारियों के स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

वर्षों से अनसुलझे मामलों को सुलझाने में सक्षम फोरेंसिक व्यवस्था से लेकर एआई-सक्षम आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों तक; महिलाओं की सुरक्षा पहलों से लेकर परिणामोन्मुख साइबर अपराध नियंत्रण तक—हरियाणा पुलिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग में नए मानक स्थापित कर रही है। नवाचार, पारदर्शिता और नागरिक-प्रथम रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हरियाणा पुलिस ने अगस्त, 2025 में राष्ट्रीय प्रदर्शन रैंकिंग में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है और अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ये पहलें अलग-थलग प्रयास नहीं हैं; बल्कि वे उस व्यापक दृष्टि का हिस्सा हैं, जिसके अंतर्गत सेवा वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक को एक उपकरण के रूप में अपनाया गया है, ताकि सेवा प्राप्त करने वाले और सेवा देने वाले के बीच का संपर्क न्यूनतम हो। हरियाणा का तकनीक-संचालित शासन मॉडल दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए नागरिकों को सशक्त बना सकते हैं।

हरियाणा में भूमि और राजस्व अभिलेखों का आधुनिकीकरण एक मील का पत्थर साबित हुआ है। करोड़ों पृष्ठों के राजस्व अभिलेखों को स्कैन, सत्यापित और डिजिटाइज़ करके हरियाणा ने न केवल महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित किया है, बल्कि नागरिकों के लिए उनकी आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। इससे विवादों और मुकदमों में कमी आई है, विश्वास बढ़ा है और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित हुई हैं। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड कक्षों की स्थापना से संस्थागत क्षमता और मजबूत हुई है। पंजीकरण सेवाओं के डिजिटलीकरण और ई-स्टांपिंग प्रणाली के कारण नागरिकों को त्वरित सेवाएं, कम कागजी कार्यवाही और अधिक जवाबदेही का अनुभव हो रहा है। प्रभावी भूमि शासन आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय की आधारशिला है। भूमि स्वामित्व को आर्थिक समावेशन और ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हुए, हरियाणा ने स्वामित्व योजना लागू की है, जो संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करने की एक परिवर्तनकारी पहल है। संपत्ति कार्ड जारी होने से भूमि मालिकों को संस्थागत ऋण तक पहुंच मिली है। यह सुधार न केवल आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि परिवारों के लिए कानूनी निश्चितता और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है।

अभियान

काशी की गंगा और मोक्ष का मौन नियम: क्यों नहीं लाया जाता बनारस से गंगाजल

भारत की आत्मा अगर कहीं सबसे गहराई से सांस लेती है, तो वह काशी है। बनारस, वाराणसी या काशी—नाम चाहे जो हो, यह नगर केवल ईंट-पत्थरों से बना हुआ कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतना, मृत्यु, मोक्ष और अनंतता का जीवित प्रतीक है। यहां जीवन और मृत्यु आमने-सामने खड़े नहीं होते, बल्कि एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं। गंगा यहां केवल नदी नहीं रहतीं, बल्कि मोक्ष की अंतिम सीढ़ी बन जाती हैं। इसी पवित्र और रहस्यमय भूमि से जुड़ा एक ऐसा नियम है, जिसे बहुत से लोग जानते तो हैं, पर उसके पीछे की गहराई को नहीं समझ पाते—बनारस से गंगाजल लाने की मनाही।

भारत में गंगाजल का महत्व सर्वविदित है। हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे तीर्थों से श्रद्धालु गंगाजल लाते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजा-पाठ में उसका उपयोग करते हैं और उसे घर में पवित्रता के प्रतीक के रूप में रखते हैं। वहां का गंगाजल जीवन, शुद्धि, पुण्य और कल्याण से जुड़ा माना जाता है। लेकिन वही गंगा जब काशी पहुंचती हैं, तो उनका स्वरूप बदल जाता है। यहां गंगा जीवन की नहीं, मृत्यु के पार ले जाने वाली धारा बन जाती हैं। यही अंतर बनारस के गंगाजल को विशिष्ट और साथ ही निषिद्ध बनाता है।

काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां देह त्यागने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहां मृत आत्मा को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे भवसागर से पार करा देते हैं। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर दिन-रात चिताएं जलती रहती हैं। यहां मृत्यु भय का विषय नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह स्वीकार की जाती है। शंखनाद, मंत्रोच्चार और अग्नि की लपटों के बीच जब किसी देह का अंत होता है, तब यह माना जाता है कि आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

दाह संस्कार के बाद मृतक की अस्थियां और राख गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। काशी की गंगा में असंख्य आत्माओं की मुक्ति की कथा समाहित मानी जाती है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, यहां का जल उन सूक्ष्म तत्वों, ऊर्जाओं और अवशेषों से युक्त होता है, जो मोक्ष की यात्रा से जुड़े होते हैं। इसी

कारण यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बनारस से गंगाजल लेकर जाता है, तो वह अनजाने में उन आत्माओं की मुक्ति में हस्तक्षेप कर सकता है।

लोकमान्यता है कि काशी की गंगा में प्रवाहित होने वाली राख केवल भौतिक अवशेष नहीं होती, बल्कि उसके साथ आत्मा की सूक्ष्म यात्रा भी जुड़ी होती है। यदि उस जल को कहीं और ले जाया जाए, तो यह आशंका रहती है कि मोक्ष की ओर अग्रसर आत्मा का मार्ग बाधित हो सकता है। यही कारण है कि काशी के गंगाजल को वहीं छोड़ देना ही धर्मसंगत माना गया है। यह नियम किसी भय या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता के सम्मान से जुड़ा है।

इसके साथ ही बनारस का तांत्रिक और आध्यात्मिक स्वरूप भी इस मनाही को और गहरा बना देता है। काशी केवल वैदिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि तंत्र, साधना और गूढ़ अनुष्ठानों की भूमि भी है। यहां अनेक तांत्रिक क्रियाएं, मोक्ष कर्म और विशेष साधनाएं संपन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन साधनाओं के प्रभाव से यहां का जल, वायु और भूमि सामान्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील और शक्तिशाली हो जाते हैं। यह शक्ति हर व्यक्ति के लिए अनुकूल हो, यह आवश्यक नहीं।

कहा जाता है कि काशी का गंगाजल सांसारिक सुख, धन या समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि वैराग्य और मुक्ति के लिए है। यदि उसे घर लाकर पूजा-पाठ में उपयोग किया जाए, तो वह अपेक्षित सकारात्मक परिणाम देने के बजाय उलटा प्रभाव भी डाल सकता है। यही कारण है कि परंपरा में यह कहा गया कि जहां से जीवन की कामना की जाती है, वहां का जल अलग होता है और जहां मृत्यु को मोक्ष में बदला जाता है, वहां का जल अलग अर्थ रखता है।

एक और गहरी मान्यता यह भी है कि काशी की गंगा में केवल मानव आत्माएं ही नहीं, बल्कि असंख्य सूक्ष्म जीव और चेतनाएं भी निवास करती हैं, जो मोक्ष की प्रतीक्षा में होती हैं। यदि कोई व्यक्ति उस जल या मिट्टी को अपने साथ ले आता है, तो वह उन जीवों को उनके अंतिम लक्ष्य से वंचित कर देता है। इसी कारण इसे पाप से जोड़कर देखा गया है। यहां पाप का अर्थ किसी दंड से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक असंतुलन से है, जो अनजाने में उत्पन्न हो सकता है।

काशी को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह नगर स्वयं मृत्यु का भी अंत कर देता है। यहां आने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे जीवन के मोह से मुक्त होने लगता है। यही कारण है कि यहां का हर नियम हमें त्याग, स्वीकार और मौन की शिक्षा देता है। बनारस से गंगाजल न लाने की परंपरा भी उसी मौन शिक्षा का हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि हर पवित्र वस्तु को संग्रह करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कुछ पवित्रताएं अनुभव की जाती हैं, संभाली नहीं जातीं।

आधुनिक दृष्टि से देखने पर भले ही यह नियम तर्क से परे लगे, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में हर नियम के पीछे चेतना का एक स्तर छिपा होता है। काशी हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंतिम सत्य नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जिस प्रकार हम मृत्यु को अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसी प्रकार मृत्यु से जुड़े मोक्ष तत्वों को भी बांधकर नहीं रखा जा सकता।

इस प्रकार बनारस से गंगाजल न लाने की परंपरा केवल धार्मिक निषेध नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता, मृत्यु के सम्मान और मोक्ष की पवित्र यात्रा की रक्षा का प्रतीक है। काशी की गंगा हमें बुलाती जरूर हैं, लेकिन केवल नमन करने के लिए, साथ ले जाने के लिए नहीं। यही काशी का मौन नियम है, यही उसका अनकहा रहस्य है, जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से समझ में आता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कांकरिया कार्निवल का शुभारंभ किया

▸▸ मुख्यमंत्री ने मनपा और औडा के 526 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया

श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के परिणामस्वरूप कांकरिया तालाब और कांकरिया कार्निवल बेमिसाल और बेजोड़ बन गए हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :

- ▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में शहरों की सुख-सुविधा में नए कीर्तिमान स्थापित हुए
- ▸▸ कांकरिया कार्निवल जैसे आयोजनों से रिक्रिएशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
- ▸▸ विकास कार्यों के लोकार्पण से कांकरिया कार्निवल अब विकास कार्निवल भी बन गया है

▸▸ ड्रोन शो तथा लाइट एंड साउंड शो से कांकरिया का आकाश जगमगा उठा, ड्रोन के जरिए उभरी आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान की आकृतियां बनी आकर्षण का केंद्र

▸▸ कार्निवल परेड के साथ कांकरिया कार्निवल का रंगारंग प्रारंभ

▸▸ प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला की प्रोत्साहिक उपस्थिति

▸▸ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कीर्तिदान गढ़वी ने जमाया रंग

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अहमदाबाद में देश और दुनिया में विख्यात हो चुके कांकरिया कार्निवल-2025 का रंगारंग शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर भाववंदना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 से सुशासन के प्रणेता अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सुशासन के माध्यम से अंतिम छोरे के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) ने महानगर को कांकरिया लेकफ्रंट, साबरमती रिवरफ्रंट, अटल ब्रिज, शॉपिंग फेस्टिवल, फ्लावर शो औ काइट फेस्टिवल जैसे अनेक आकर्षणों की भेंट दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि नागरिकों को मनोरंजन की सुविधाएं मिलने के साथ-साथ शहरों में लोगों की सुख-सुविधाओं में इजाफा हो और हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर

उठे। उन्होंने कहा कि शहरीजनों की सुविधाओं के मामले में गुजरात ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पहले कांकरिया की पहचान केवल एक तालाब के रूप में सीमित थी। श्री नरेन्द्र मोदी ने इस तालाब का कायापलट किया और कांकरिया कार्निवल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के परिणामस्वरूप आज कांकरिया तालाब और कांकरिया कार्निवल बेमिसाल और बेजोड़ बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि कांकरिया कार्निवल 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करता है। कांकरिया कार्निवल जैसे आयोजन से रिक्रिएशनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी मनोरंजन में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि वर्ष 2024 में 42 लाख से अधिक लोग कांकरिया लेकफ्रंट देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने स्वच्छता पर भी जोर दिया और नागरिकों से सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आज विकास की अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, ऐसे में यह कांकरिया कार्निवल अब विकास कार्निवल भी बन गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुसार 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए शहरों को और अधिक टिकाऊ और सुविधायुक्त बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद महानगर पालिका तथा अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) के लगभग 526 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 109 जनोन्मुखी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में एएमसी के 196.73 करोड़ रुपए के 88 कार्यों का लोकार्पण तथा 150.46 करोड़ रुपए के 12 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। दोनों मिलाकर कुल 347.19 करोड़ रुपए के 100 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में औडा के 5.25 करोड़ रुपए के 3 विकास कार्यों का लोकार्पण और 174.34 करोड़ रुपए के 6 कार्यों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर एएमसी और औडा के 526.78 करोड़ रुपए की लागत के 109 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इस मौके पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांकरिया का कायापलट करके शहरीजनों के आनंद और उल्लास के लिए कांकरिया कार्निवल की शुरुआत की थी, जो परंपरा आज भी जारी है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों द्वारा 16वें कांकरिया कार्निवल का प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा नगरजनों को 526.78 करोड़ रुपए के विभिन्न जनोन्मुखी विकास कार्यों की भेंट मिली है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण किट का वितरण किया।

महापौर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी लोगों को रोशनी के त्योहार क्रिसमस की भी बधाई दी।

कांकरिया कार्निवल के प्रारंभ में आयोजित कार्निवल परेड शहरीजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। परेड की थीम 'लोकल टू ग्लोबल' थी।

कार्यक्रम के दौरान ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। ड्रोन शो से कांकरिया का आकाश जगमगा उठा था। ड्रोन के जरिए बनी लोकल टू ग्लोबल, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, क्लीन सिटी, अटल जी और शॉपिंग फेस्टिवल की आकृतियों ने लोगों का उत्साह बढ़ाया।

इसके अलावा, देशभक्ति के गीतों के साथ अद्भुत लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित हुआ, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। कार्निवल के भाग के रूप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री कीर्तिदान गढ़वी ने रंग जमाया।

कार्यक्रम में अहमदाबाद के प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, सांसद श्री हसमुखभाई पटेल और दिनेशभाई मकवाणा, उप महापौर श्री जतिनभाई पटेल, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांग दाणी, शहर के सभी विधायक, मनपा और औडा के पदाधिकारी, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि और औडा के सीईओ श्री डी.पी. देसाई सहित कई उच्च अधिकारी और नगरजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

भारतीय रेलवे ने यात्री किराया संरचना को युक्तिसंगत बनाया; उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों और 215 किमी तक की द्वितीय श्रेणी की साधारण यात्राओं के लिए कोई किराया वृद्धि नहीं

▸▸ यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव: शयनयान और प्रथम श्रेणी साधारण में केवल 1 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी

▸▸ एसी एवं नॉन-एसी श्रेणियों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में संशोधन 2 पैसे प्रति किमी तक सीमित वृद्धि

▸▸ किराया युक्तिसंगत बनाने के तहत आरक्षण शुल्क या सुपरफास्ट शुल्कों में कोई बदलाव नहीं; जीएसटी प्रयोज्यता और किराया पूर्णांकन नियम भी अपरिवर्तित

▸▸ संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा, पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए भी कोई प्रभाव नहीं

(जीएनएस)। रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया वहनीय बनाने और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से अपने यात्री किराया ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है।

संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है।

साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है- 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये।

स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से एकसमान संशोधन किया गया है, जिससे किराए में क्रमिक और सीमित वृद्धि सुनिश्चित हुई है। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। यह संशोधन सभी श्रेणियों में समान रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। गौरतलब है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे। जीएसटी की प्रयोज्यता अपरिवर्तित रहेगी और किराए को प्रचलित मानदंडों के अनुसार किराय का पूर्णांकन जारी रहेगा। संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले बुक किए गए टिकटों पर, चाहे यात्रा प्रभावी तिथि के बाद ही क्यों न हो, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी 26.12.2025 से प्रभावी नए किरायों के अनुरूप अद्यतन की जाएगी।

नवी मुंबई को मिला नया हवाई द्वार, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से शुरू हुईं व्यावसायिक उड़ानें, पहली फ्लाइट को वॉटर कैनन सलामी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के विमानन इतिहास में गुरुवार का दिन एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानों की औपचारिक शुरुआत हुई। लंबे इंतजार और वर्षों की योजना के बाद जैसे ही पहली कमर्शियल फ्लाइट ने इस एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, वैसे ही यह क्षण मुंबई और देश के लिए ऐतिहासिक बन गया। सुबह के समय बेंगलुरु से उड़ान भरकर आई इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट के लैंड करते ही उसे वॉटर कैनन सलामी दी गई, जिसने इस शुरुआत को और भी यादगार बना दिया।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली उड़ान के आगमन के साथ ही पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। यात्रियों में खास उत्साह था, क्योंकि वे न सिर्फ एक यात्रा पर निकले थे, बल्कि इतिहास के गवाह भी बन रहे थे। एयरपोर्ट प्रशासन, विमानन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पल को उपलब्धि के रूप में देखा। लंबे समय से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक बड़े विकल्प के तौर पर विकसित किया गया था, और अब उसकी उपयोगिता जमीन पर उतरती दिखाई देने लगी है। इस ऐतिहासिक मौके पर अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी भी एयरपोर्ट परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने पहली कमर्शियल उड़ान के सफल संचालन को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और विमानन क्षेत्र की क्षमता का प्रतीक बताया।

अडाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड को इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास, निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वह वर्ष 2021 से संभाल रही है। समूह की ओर से इसे देश के सबसे आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किए जाने का दावा किया गया है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत को मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक मुंबई का एकमात्र बड़ा हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट था, जहां यात्रियों और उड़ानों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। नवी मुंबई एयरपोर्ट के चालू होने से न सिर्फ यात्री सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि विमानन परिचालन भी अधिक सुगम और संतुलित हो सकेगा। पहले ही दिन यह एयरपोर्ट देश के 9 प्रमुख शहरों से जुड़ गया, जहां करीब 12 घंटे तक उड़ानों का संचालन किया गया।

प्रारंभिक चरण में नवी मुंबई एयरपोर्ट से 15 घरेलू उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। शुरुआत में ही इसे प्रमुख महानगरों और व्यावसायिक केंद्रों से जोड़ा गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। आने वाले दिनों में उड़ानों की संख्या और गंतव्यों में धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नवी मुंबई, पनवेल, उलवे और आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी नई गति मिलेगी।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला चरण करीब 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह एयरपोर्ट लगभग 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके पहले चरण में एक आधुनिक टर्मिनल और एक रनवे शामिल है। इस चरण में एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 2 करोड़ रखी गई है। डिजाइन और सुविधाओं के लिहाज से इसे विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि यात्रियों को सहज, सुरक्षित और आरामदायक अनुभव मिल सके।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) ने वर्ष 1997 में की थी। हालांकि विभिन्न कारणों से इसे साकार होने में लंबा समय लगा। वर्ष 2018 में इसकी आधारशिला रखे जाने के बाद काम ने गति पकड़ी और आखिरकार अब यह सपना हकीकत में बदल गया है।

लोकोमोटिव शेड साबरमती की अभिनव पहल: विकसित की इनोवेटिव वैक्यूम असिस्टेड ट्रैक क्लीनिंग डिवाइस

(जीएनएस)। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत को विनिर्माण, डिज़ाइन एवं नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अनेक सुधार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विकसित भारत की संकल्पना एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद स्थित लोकोमोटिव शेड साबरमती ने नवाचार एवं स्वदेशी तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लोको शेड साबरमती की टीम द्वारा इन-हाउस रूप से एक वैक्यूम असिस्टेड ट्रैक क्लीनर (VAT क्लीनर) का सफलतापूर्वक डिज़ाइन एवं निर्माण किया गया है।

यह उपकरण पर्यावरण अनुकूल एवं लागत प्रभावी है,यह इको-फ्रेंडली और किफायती डिवाइस HHP

लोकोमोटिव के रेडिएटर फैन का इस्तेमाल करके इन-हाउस बनाया गया है, जिसे एक डीज़ल वर्किंग ट्रॉली (DWT) पर वर्टिकली लगाया गया है और यह लोकोमोटिव से ही पावर लेता है। रेडिएटर फैन चैंबर एक खास डिज़ाइन किए गए कचरा इकट्ठा करने वाले चैंबर से जुड़ा है, जिससे रेलवे ट्रैक और आस-पास के क्षेत्र से कचरा प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है।

1000 से 1800 आरपीएम की उच्च गति पर कार्य करने वाला यह उपकरण प्रभावी सक्शन प्रदान करता है। वैट क्लीनर के संचालन हेतु ड्राइवर डेस्क पर ऑन/ऑफ एवं वैरिएबल स्पीड कंट्रोल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ड्राइवर अपनी सीट से ही सक्शन क्षमता को नियंत्रित कर सकता है।

120 x 55 x 65 इंच आकार का विशाल कचरा संग्रह चेंबर तथा उसमें लगाया गया हेवी ड्यूटी नेट बैग कचरे के संग्रह एवं निस्तारण को सरल बनाता है।

200 मिमी व्यास की सक्शन होज़ तथा मेकेनिकल मूवमेंट व्यवस्था के माध्यम से एक ही ऑपरेटर द्वारा ट्रैक एवं ट्रैक साइड क्षेत्र की सफाई संभव है। इस उपकरण का संचालन लोकोमोटिव नियंत्रण प्रणाली से पूर्णतः स्वतंत्र है, जिससे सुरक्षित कार्य सुनिश्चित होता है। साथ ही, यह सफाई कार्य लोकोमोटिव के गतिशील अवस्था में भी किया जा सकता है। लोको शेड साबरमती द्वारा विकसित यह नवोन्मेषी पहल न केवल ट्रैक की स्वच्छता एवं संरक्षा को सुदृढ़ करती है, बल्कि पश्चिम रेलवे की स्वदेशी नवाचार, संसाधन अनुकूलन एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

कर व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी नया आयकर कानून बनेगा सुधारों की आधारशिला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार वर्ष 2025 में कर प्रणाली को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुकी है। आयकर और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में व्यापक सुधारों के जरिए सरकार का लक्ष्य कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी, करदाता-केंद्रित और डिजिटल बनाना है। इसी क्रम में संसद से पारित आयकर अधिनियम, 2025 को आगामी वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह कानून करीब छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा और देश की कर प्रणाली के आधुनिकीकरण की नींव रखेगा। नए आयकर कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य जटिल और तकनीकी कानूनी भाषा को सरल बनाना है। वर्षों में संशोधनों के कारण आयकर कानून बेहद पेचीदा हो गया था, जिससे आम करदाताओं और छोटे कारोबारियों को अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आयकर अधिनियम, 2025 में अप्रचलित और गैर-जरूरी प्रावधानों को हटाया गया है तथा धाराओं और अध्यायों की संख्या को काफी हद तक कम किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कर कानून को समझना और उसका पालन करना आम नागरिकों के लिए कहीं अधिक आसान हो सकेगा।

इस नए कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'कर वर्ष' की नई अवधारणा है। अब तक आयकर प्रणाली में 'वित्त वर्ष' और 'आकलन वर्ष' की दोहरी व्यवस्था थी, जिसे लेकर अक्सर करदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पहली बार एक ही कर अवधि निर्धारित की गई है, जिसे 'कर वर्ष' कहा जाएगा। यह अवधि 1 अप्रैल से शुरू होकर लगातार 12 महीनों की होगी। इससे न केवल कर दाखिल करने की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि कर प्रशासन और करदाताओं दोनों के लिए समय-सारिणी अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

सरकार ने नए कानून में डिजिटल और फेसलेस प्रणाली को भी प्राथमिकता दी है। फेसलेस मूल्यांकन, ई-नोटिस और ऑनलाइन अनुपालन जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहे और पारदर्शिता बढ़े। इससे करदाताओं और कर विभाग के बीच प्रत्यक्ष संपर्क कम होगा, जिससे भ्रष्टाचार और विवादों की गुंजाइश भी घटने की उम्मीद है। सरकार का जोर एक ऐसी कर व्यवस्था पर है, जहां तकनीक के माध्यम से विश्वास और दक्षता दोनों को बढ़ाया जा सके। आयकर अधिनियम, 2025 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी स्पष्ट कानूनी पहचान दी गई है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी, टोकनाइज्ड एसेट्स और अन्य डिजिटल संपत्तियों को परिभाषित किया गया है। अब तक इनके कराधान को लेकर कई तरह की व्याख्याएं और अस्पष्टताएं थीं। नए कानून के तहत इन एसेट्स के कर उपचार को स्पष्ट किया गया है, जिससे निवेशकों और कर प्रशासन दोनों को स्पष्ट दिशा मिलेगी और विवादों में कमी आने की संभावना है।

प्रत्यक्ष कर सुधारों के साथ-साथ सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में भी बदलाव किए हैं। वर्ष 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, ताकि उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके और आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

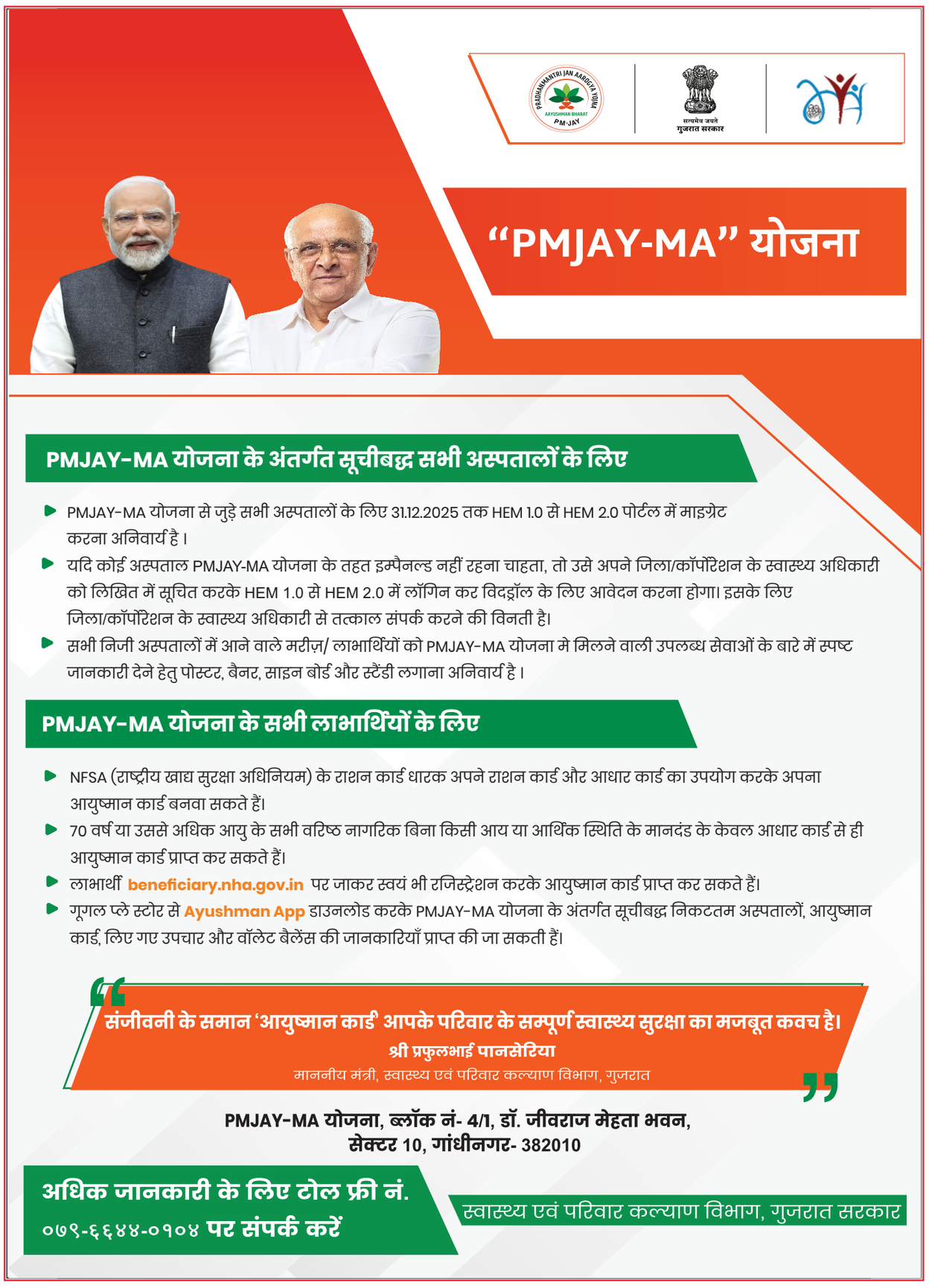

परिवारवाद की जंजीरों से मुक्त होकर राष्ट्रनायकों को सम्मान देने का नया युग, अटल जयंती पर लखनऊ से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश

(जीएनएस)। लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश ने लंबे समय तक ऐसी राजनीति देखी, जिसमें एक ही परिवार को हर उपलब्धि का श्रेय देने की परंपरा बना दी गई थी। इस सोच ने राष्ट्र के असंख्य महापुरुषों और उनके योगदान को हाशिये पर धकेल दिया। लेकिन आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भारत की राजनीति और राष्ट्रीय स्मृति को परिवारवाद की सीमाओं से मुक्त करते हुए हर उस व्यक्तित्व को सम्मान दिया है, जिसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में 65 एकड़ में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें कहीं। उन्होंने इस स्थल को केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा, आत्मसम्मान और प्रेरणा का जीवंत केंद्र बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक लाभ से ऊपर देश का हित होता है। उन्होंने कहा कि यहां स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि वे विचारों की विराटता का प्रतीक हैं। ये तीनों महापुरुष अलग-अलग समय में अलग-अलग परिस्थितियों में खड़े हुए, लेकिन उनका मूल विचार एक ही था—राष्ट्र की एकता, आत्मनिर्भरता और अंतिम व्यक्ति के कल्याण का संकल्प।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस "एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान" का सपना देखा था, उसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया। लेकिन उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह भारत के संवैधानिक ढांचे में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल एक कानूनी कदम नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता का मजबूत संदेश था। मोदी ने कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यूपी को केवल पिछड़ेपन और अराजकता से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। एक जनपद-एक उत्पाद योजना, डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, मेडिकल कॉलेजों और औद्योगिक निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश विकास की नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल सरकार की नीतियों से नहीं, बल्कि प्रदेश के मेहनतकश लोगों के परिश्रम और संकल्प से संभव हुआ है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने शासन की धुरी अंतिम व्यक्ति को बनाया है। उन्होंने कहा कि विकास का सही अर्थ तभी है, जब उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के तहत गरीबों को बिना किसी भेदभाव के आवास, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं कागजों तक सीमित रहती थीं, लेकिन आज तकनीक और पारदर्शिता के जरिए लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अटलजी केवल एक कुशल वक्ता या कवि ही नहीं, बल्कि सुशासन को व्यवहार में उतारने वाले नेता थे। उन्होंने कहा कि अटलजी की दूरसंचार नीति ने देश में मोबाइल और इंटरनेट क्रांति की नींव रखी। उसी नीति का परिणाम है कि आज भारत न केवल मोबाइल उपयोग में, बल्कि मोबाइल निर्माण में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, जहां बड़े पैमाने पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक देश की उपलब्धियों को एक परिवार तक सीमित रखने की कोशिश की गई। इतिहास की किताबों से लेकर सरकारी कार्यक्रमों तक, हर जगह एक ही नाम और एक ही परिवार को आगे रखा गया। उन्होंने कहा कि इस सोच ने देश के अनेक महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दबा दिया। लेकिन आज भाजपा सरकार ने उस अन्याय को सुधारने का काम किया है। सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान राष्ट्रनायकों को उनका उचित सम्मान दिलाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय इसी सोच का प्रतीक है, जहां सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समान सम्मान दिया गया है, चाहे उनका कार्यकाल कितना भी छोटा या लंबा रहा हो। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय यह संदेश देता है कि देश के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना भी इसी विचारधारा का उदाहरण है, जहां योगदान को देखा गया, न कि राजनीतिक लाभ या परिवार।

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश का सांसद होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से भी देश की आत्मा है। यहां के लोगों की मेहनत, विश्वास और समर्थन से ही आज उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वाले वर्षों में युवाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और उन्हें राष्ट्रहित में काम करने का संकल्प देगा।

प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन केवल अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि देश की राजनीति और राष्ट्रीय चेतना को दिशा देने वाला संदेश भी था, जिसमें परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र, विचार और जनकल्याण को केंद्र में रखने का आह्वान साफ तौर पर दिखाई दिया।

वायरल ऑडियो–वीडियो विवाद से गरमाई उत्तराखंड की सियासत, पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)। हरिद्वार। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सोशल मीडिया से उपजा विवाद बड़ा सियासी तूफान बनता नजर आ रहा है। वायरल ऑडियो–वीडियो प्रकरण को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ बहादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरी बहस का विषय बन गया है। इस प्रकरण ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी नए सवाल और आरोप–प्रत्यारोप खड़े कर दिए हैं। यह मुकदमा शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भ्रामक, तथ्यहीन और आपत्तिजनक बयान तथा वीडियो प्रसारित किए, जिससे न केवल शिकायतकर्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, बल्कि पूरे रविदासी समाज की भावनाएं भी आहत हुईं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की सामग्री का उद्देश्य जानबूझकर समाज में भ्रम और तनाव फैलाना था।

धर्मेंद्र कुमार ने अपनी तहरीर में उल्लेख किया है कि वायरल किए गए ऑडियो और वीडियो में ऐसे आरोप और बातें कही गईं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं है। उनका दावा है कि इन बयानों को इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों में गलत धारणा बने और रविदास पीठ से जुड़े लोगों की छवि को नुकसान पहुंचे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर यह सामग्री तेजी से फैलाई गई, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया और समाज के भीतर असंतोष की स्थिति पैदा हुई।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर का रविदास पीठ से जुड़े वर्चस्व और आंतरिक विवाद को लेकर पहले से मतभेद रहा है। इसी पुराने विवाद के चलते कथित रूप से यह ऑडियो–वीडियो जानबूझकर प्रसारित किया गया, ताकि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बने। तहरीर में यह आशंका भी जताई गई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो इससे सामाजिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बहादराबाद थाना पुलिस का कहना है कि वायरल ऑडियो–वीडियो की सत्यता, उसके स्रोत और प्रसार की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई सोशल मीडिया के माध्यम से जानबूझकर किसी व्यक्ति या समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के साथ–साथ गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

इस प्रकरण में अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नाम सामने आने से मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। उर्मिला सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए जानी जाती हैं और उनके बयानों को बड़ी संख्या में लोग देखते और साझा करते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर किस तरह की जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। वहीं, पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम जुड़ने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।

भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि आरोप सही हैं, तो कानून को अपना काम पूरी सख्ती से करना चाहिए, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। वहीं, कुछ राजनीतिक नेताओं का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में बिना जांच–पड़ताल के वायरल होने वाली सामग्री समाज को तोड़ने का काम कर रही है और इस पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।

दूसरी ओर, इस मामले को लेकर समाज के भीतर भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रविदासी समाज से जुड़े संगठनों का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर गैरजिम्मेदाराना बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना है कि गुरु रविदास के नाम और उनकी परंपरा से जुड़े संस्थानों को विवादों में घसीटना समाज की एकता के लिए घातक है। कुछ संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच तेजी से पूरी की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी तरह की अफवाह पर विराम लगे। सोशल मीडिया पर भी यह मामला दो धड़ों में बंटा नजर आ रहा है। एक तरफ वे लोग हैं, जो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कई यूजर्स यह सवाल उठा रहे हैं कि वायरल ऑडियो–वीडियो की प्रामाणिकता क्या है और क्या पूरे मामले में सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसी कारण मामले को गंभीरता से लिया गया है और किसी भी पक्ष को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।

अवैध गर्भपात की साजिश ने ली 18 वर्षीय युवती की जान, रिश्ते की आड़ में छिपा प्रेम बना मौत की वजह

(जीएनएस)। नोएडा। आधुनिकता और सामाजिक दबावों के बीच फंसी एक 18 वर्षीय युवती की जिंदगी अवैध गर्भपात की साजिश की भेंट चढ़ गई। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सदरपुर कॉलोनी से सामने आया यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज में रिश्तों, लोकलाज और जागरूकता की कमी की एक दर्दनाक तस्वीर भी पेश करता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती की मौत का कारण अवैध तरीके से कराया गया गर्भपात और दवाइयों का गलत सेवन रहा, जिसने उसकी हालत को धीरे-धीरे मौत की ओर धकेल दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतका का प्रेम संबंध उसके ही चचेरे भाई अरविंद कुमार से था। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे और आपसी सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध बने। रिश्ते की नजदीकी और भरोसे ने इस प्रेम को छिपाए रखा, लेकिन जब युवती गर्भवती हुई तो यह रिश्ता डर और दबाव में बदल गया। समाज और परिवार की बदनामी के डर से दोनों ने इस स्थिति को छिपाने का फैसला किया, जो अंततः युवती के लिए जानलेवा साबित हुआ।

जांच में सामने आया है कि गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद युवती और युवक ने किसी डॉक्टर या वैध चिकित्सा सलाह के बजाय गर्भपात की दवा का सहारा लिया। आरोप है कि अरविंद कुमार ने युवती को गर्भपात के लिए दवा खिला दी। यह दवा बिना चिकित्सकीय देखरेख और उचित जांच के दी गई थी, जो उसकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हुई। दवा खाने के कुछ ही समय बाद युवती की हालत बिगड़ने लगी। पेट दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव और कमजोरी के चलते उसकी स्थिति लगातार गंभीर होती चली गई।

परिजन जब युवती की हालत देखकर घबरा गए तो उसे इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन यहां भी हालात ने एक और गलत मोड़ ले लिया। पुलिस के अनुसार, परिजन किसी कारणवश युवती को सफदरजंग अस्पताल से वापस घर ले आए। संभवतः डर, आर्थिक तंगी या सामाजिक दबाव के चलते यह फैसला लिया गया, लेकिन यही निर्णय उसकी जान पर भारी पड़ गया।

बुधवार शाम को युवती की तबीयत एक बार फिर अचानक बिगड़ गई। हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसे दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण के चलते उसकी हालत संभल नहीं पाई। देर रात इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर फैलते ही सदरपुर कॉलोनी और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया और मोहल्ले में शोक का माहौल छा गया।

मामले की सूचना मिलने पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने चचेरे भाई अरविंद कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अरविंद ने ही गर्भपात की दवा दिलाकर युवती को खिलाई, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और अंततः उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी डी.पी. शुक्ल ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 91(1) के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के अंतर्गत अवैध गर्भपात और उससे हुई मौत के मामलों में दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गर्भपात की दवा कहां से लाई गई, किसकी सलाह पर इसका सेवन कराया गया और क्या इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका रही है।

यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। अवैध गर्भपात आज भी कई युवतियों की जान ले रहा है। जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव और लोकलाज के डर के चलते लोग वैध चिकित्सा सेवाओं से दूर रहकर ऐसे खतरनाक रास्ते चुन लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना डॉक्टर की निगरानी के गर्भपात की दवाइयों का सेवन जानलेवा हो सकता है, खासकर कम उम्र की लड़कियों के लिए।

पुलिस और प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि ऐसे मामलों में कानून और चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा किया जाए। गर्भपात से जुड़े कानून स्पष्ट हैं और सुरक्षित व वैध तरीके से चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। लेकिन जानकारी के अभाव और डर के कारण लोग गलत फैसले ले लेते हैं, जिनका खामियाजा कभी-कभी जान देकर चुकाना पड़ता है।

सदरपुर कॉलोनी की यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की आड़ में छिपे प्रेम, सामाजिक दबाव और गलत फैसले किस तरह एक हंसती-खेलती जिंदगी को खत्म कर सकते हैं।

धनशोधन के आरोपों से गुजरात प्रशासन में हड़कंप, पूर्व जिलाधिकारी सहित चार के खिलाफ एफआईआर

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात में भ्रष्टाचार और धनशोधन के एक बड़े मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर सुरेंद्रनगर के पूर्व जिलाधिकारी और आईएएस अधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस कार्रवाई के बाद राज्य की नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

एसीबी के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल के अलावा उनके निजी सहायक जयराजसिंह झाला, लिपिक मयूरसिंह गोहिल और राजस्व अधिकारी चंद्रसिंह मोरी शामिल हैं। यह प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन जांच एजेंसियों की सक्रियता ने पूरे प्रकरण को संवेदनशील बना दिया है।

बताया जा रहा है कि बुधवार को ही आईएएस अधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल को सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी पद से हटा दिया गया था। हालांकि सरकार की ओर से उनके तबादले को लेकर औपचारिक रूप से विस्तृत कारण नहीं बताए गए, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई ईडी द्वारा की गई हालिया छापेमारी और गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई है। फिलहाल पटेल को कोई नई तैनाती नहीं दी गई है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

एसीबी के संयुक्त निदेशक मकरंद चौहान ने बताया कि 23 दिसंबर को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी दिन प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्व अधिकारी चंद्रसिंह मोरी के आवास पर छापेमारी कर 67.50 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। ईडी का दावा है कि यह रकम रिश्वत के जरिए अर्जित की गई और इसे धनशोधन के तहत छिपाने की कोशिश की जा रही थी। नकदी की बरामदगी के बाद मामला केवल भ्रष्टाचार तक सीमित न रहकर धनशोधन निवारण अधिनियम के दायरे में भी आ गया।

ईडी की जांच में सामने आया है कि चंद्रसिंह मोरी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि यह राशि वैधानिक भूमि-उपयोग से जुड़े आवेदनों के त्वरित निपटारे के बदले ली गई थी। आरोप है कि आवेदकों से यह रकम सीधे या फिर बिचौलियों के माध्यम से वसूली जाती थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब इस बात की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी है कि अवैध रूप से वसूली गई रकम को कहां-कहां और किस तरह से खपाया गया। इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इस धन का इस्तेमाल किन संपत्तियों या लेन-देन में किया गया और क्या इसमें अन्य अधिकारी या निजी व्यक्ति भी शामिल थे।

इस मामले ने गुजरात प्रशासन में ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक जिलाधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारी का नाम इस तरह के प्रकरण में सामने आना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है और विपक्ष सरकार से निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है।

वहीं, सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। आने वाले दिनों में एसीबी और ईडी की जांच से और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल, इस प्रकरण पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं और यह देखना अहम होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और किन-किन चेहरों से पर्दा उठता है।

बेटी से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फांसी पाए पिता को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सबूतों में खामी के चलते बरी

(जीएनएस)। सूरत। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, अब उस पर गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक और बेहद अहम फैसला सुनाया है। अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि जिस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया था, वह कानूनी कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि जांच प्रक्रिया में गंभीर और अस्वीकार्य चूक सामने आई हैं। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आपराधिक मामले में, विशेष रूप से जहां मौत की सजा जैसे अत्यंत कठोर दंड की बात हो, वहां साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी तरह मजबूत, विश्वसनीय और संदेह से परे होनी चाहिए।

यह मामला ओडिशा की रहने वाली 14 वर्षीय एक प्रवासी किशोरी से जुड़ा है, जो अपने परिवार के साथ रोज़गार की तलाश में गुजरात आई थी। 29 जून 2017 को उसका शव सूरत के डुमस समुद्र तट से बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किशोरी गर्भवती थी और उसकी मौत गला घोंटकर की गई थी। इतनी कम उम्र में गर्भवती होने और हत्या जैसे गंभीर तथ्यों ने इस मामले को बेहद संवेदनशील और जघन्य बना दिया था।

जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के पिता को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष का दावा था कि किशोरी के गर्भ में पल रहे भ्रूण और आरोपी पिता के डीएनए का मिलान किया गया, जिसमें समानता पाई गई। इसी डीएनए रिपोर्ट को मामले का सबसे मजबूत और निर्णायक सबूत बताया गया। पुलिस और अभियोजन ने तर्क दिया कि यह वैज्ञानिक प्रमाण आरोपी के अपराध को बिना किसी संदेह के साबित करता है।

जनवरी 2020 में सूरत की ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" यानी दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखते हुए कहा था कि यह अपराध न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देता है। इसके बाद राज्य सरकार ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए गुजरात हाईकोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया, जबकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए फैसले को चुनौती दी।

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पूरे रिकॉर्ड और सबूतों की गहन समीक्षा की गई। जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस आर. टी. वच्छानी की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को बारीकी से परखा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष उन सभी परिस्थितियों को विश्वसनीय और निर्णायक सबूतों से साबित करने में असफल रहा, जो आरोपी के दोष की ओर सीधे और बिना किसी टूट के इशारा करती हों।

हाईकोर्ट ने विशेष रूप से डीएनए जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि डीएनए साक्ष्य अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी होते हैं, जिनमें थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे मामले की नींव को हिला सकती है। फैसले में उल्लेख किया गया कि पीड़िता के अजन्मे बच्चे और आरोपी के डीएनए नमूनों को फॉरेंसिक लैब तक पहुंचाने में लगभग 13 दिन की देरी हुई।

वडोदरा हिट एंड रन मामले में हाईकोर्ट की जमानत के बाद जेल से बाहर आया रक्षित चौरसिया, फैसले से पीड़ित परिवारों में नाराज़गी

(जीएनएस)। अहमदाबाद/वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में होलिका दहन के दिन हुई दिल दहला देने वाली हिट एंड रन घटना एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में आरोपी एमएस यूनिवर्सिटी का छात्र रक्षित चौरसिया गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वडोदरा सेंट्रल जेल से रिहा हो गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने जहां कानूनी बहस को जन्म दिया है, वहीं पीड़ित परिवारों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस युवक की तेज रफ्तार और नशे में की गई लापरवाही से एक महिला की जान चली गई और कई लोग घायल हुए, उसे जमानत मिलना बेहद पीड़ादायक और झकझोर देने वाला है। गौरतलब है कि 13 मार्च 2025 को होलिका दहन के दिन रक्षित चौरसिया ने तेज रफ्तार वॉक्सवैगन कार से वडोदरा की सड़कों पर कहर बरपा दिया था। जांच में सामने आया कि कार की रफ्तार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसी दौरान उसने एक के बाद एक कुल आठ लोगों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद रक्षित चौरसिया का सड़क पर खड़े होकर "एनॉदर राउंड" चिल्लाते हुए ड्रामा करना भी सामने आया था, जिसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया था।

पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई थी कि रक्षित चौरसिया घटना के समय नशे में था। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर में THC और कोडीन जैसे नशीले पदार्थ पाए गए थे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी यह साफ तौर पर उल्लेख किया था कि हादसे के वक्त आरोपी नशे की हालत में था और उसकी लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इस पूरे मामले ने न सिर्फ वडोदरा, **(जीएनएस)**। बल्कि पूरे गुजरात में सड़क सुरक्षा, नशे में ड्राइविंग और कानून की सख्ती को लेकर तीखी बहस छेड़ दी थी।

हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट रक्षित चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त बेल देने का फैसला किया। कोर्ट ने उसे एक लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की उम्र 23 साल है, वह एक छात्र है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा, वह करीब नौ महीने तक जेल में रह चुका है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसकी याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय रक्षित चौरसिया पर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, उसे पहले छह महीनों तक हर 15 दिन में वडोदरा शहर के संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। इसके बाद उसे हर महीने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी गुजरात राज्य छोड़कर नहीं जाएगा और यदि अपने पते में कोई बदलाव करता है तो इसकी जानकारी तत्काल जांच अधिकारी को देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा और किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पहले इस मामले में एक और अहम मोड़ तब आया था, जब रक्षित चौरसिया के साथ कार में मौजूद प्रांशु चौहान को वडोदरा की निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उस समय कहा था कि प्रांशु चौहान की गिरफ्तारी अवैध थी, जिसके चलते उसे राहत दी गई। इसके बाद से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि रक्षित चौरसिया को भी आगे चलकर जमानत मिल सकती है। रक्षित चौरसिया की रिहाई की खबर सामने आते ही पीड़ित परिवारों में गहरा आक्रोश और दुख देखने को मिला। उनका कहना है कि एक जान चली गई, कई लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया, लेकिन आरोपी अब जेल से बाहर है। पीड़ितों का आरोप है कि कानून आम आदमी और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग-अलग नजर आता है। उन्होंने न्याय प्रणाली से अपील की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की लापरवाही करने से पहले सौ बार सोचे।